भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 83

02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम

83. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चल रहे परियोजना कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त किए गए नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में सीपीएल के परिवार या निकटतम संबंधियों को किसी भी प्रकार की मृत्यु के मामले में बीमा के रूप में 10 लाख रुपए का बीमित मूल्य प्रदान करने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (घ): जी, हाँ । भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) के चल रहे परियोजना कार्यों के लिए कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) को केवल 10.00 लाख रुपए के बीमित मूल्य का आश्वासन देते हुए एक ग्रुप (टर्म) इंश्योरेंस स्कीम आरंभ करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है जो नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार/निकटतम संबंधियों (एनओके) को बीमा उपलब्ध कराएगा ।

*****